' न्यायालयः न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं (राज०)

पीठासीन अधिकारी – आशीष जयपाल (आर.जे.एस.)

नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या – 121/2022

सी.एन.आर नंबर – RJJH220006992022

भाग–प्रथम

A

परिवादी	प्रवीण कुमार पुत्र श्री राजकुमार उम्र 40 साल निवासी 22 ईश्वर कॉलोनी बवाना दिल्ली।
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक अधिकारी
अभियुक्त का नाम व पता	अयुबदीन पुत्र शमसुदीन उम्र 22 साल निवासी कुलोठ खुर्द थाना सूरजगढ़ तहसील जिला झुंझुनू राज.
अधिवक्ता अभियुक्त	**श्री पवन कुमार शर्मा**

B

अपराध की दिनांक	21–03–2015
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	22–03–2015
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	22–07–2015
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	22–07–2015
साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक	23–01–2019
बहस अंतिम दिनांक	19–08–2026
निर्णय दिनांक	19–08–2026
दण्डादेश की दिनांक	–

C

अभियुक्त का विवरण

क्र. सं.	अभियुक्त का नाम	अपराध अंतर्गत धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	पारित दण्डादेश	धारा–428 जा. फौ. के उद्देश्य के लिए अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि
01	अयुबदीन	336, 337, 338 भा०दं०सं० 122/201 एमवी एक्ट	दोषमुक्त	–	–

भाग–द्वितीय

अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाहान की सूची

अ–अभियोजन गवाहान–

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह,

		विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
पी.डब्ल्यू 1	सुमेर सिंह	पुलिस गवाह
पी.डब्ल्यू 2	कुलदीप सिंह	गवाह
पी.डब्ल्यू 3	मजीद खान	अन्य गवाह
पी.डब्ल्यू 4	डॉ ओमप्रकाश	चिकित्सकीय गवाह
पी.डब्ल्यू 5	अरविंद ओला	गवाह
पी.डब्ल्यू 6	रजनीश	गवाह
पी.डब्ल्यू 7	सुरेश कुमार	पुलिस गवाह
पी.डब्ल्यू 8	भोलाराम	पुलिस गवाह

ब–बचाव गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
––	––	––

स–न्यायालय गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
–––		

<u>अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श</u>

अ–अभियोजन प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
01	प्रदर्श पी.01	मैकेनिकल मुआयना
02	प्रदर्श पी.02	नक्शा मौका घटनास्थल
03	प्रदर्श पी.03	फर्द जब्ती क्षतिग्रस्त स्कॉपियो गाडी
04	प्रदर्श पी.04	फर्द जब्ती क्षतिग्रस्त डंफर
05	प्रदर्श पी.05	चोट प्रतिवेदन
06	प्रदर्श पी.06	एक्सरे प्लेट
07	प्रदर्श पी. 07	एक्सरे प्लेट
08	प्रदर्श पी. 08	एक्सरे प्लेट
09	प्रदर्श पी. 09	चोट प्रतिवेदन
10	प्रदर्श पी. 10	एक्सरे प्लेट
11	प्रदर्श पी. 11	एक्सरे कवर नोट
12	प्रदर्श पी.12	नोटिस 133 एमवी एक्ट
13	प्रदर्श पी 13	फर्द जब्ती असल कागजात
14	प्रदर्श पी 14	चोट प्रतिवेदन पत्र
15	प्रदर्श पी 15	एक्सरे रिपोर्ट
16	प्रदर्श पी 16	एफआईआर रिपोर्ट

ब–बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण

स–न्यायालय प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
––		

द–भौतिक वस्तुएं

क्र.सं.	भौतिक वस्तु नंबर	विवरण
	––	––

<u>निर्णय</u> **दिनांकः– 19–08–2026**

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 22–03–2015 को परिवादी श्री प्रवीण कुमार ने उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि कल रात 11–12 बजे प्रार्थी अपने साथियों के साथ दिल्ली से सालासर जा रहा था। तभी सूरजगढ़ से पहले उनकी गाडी नंबर डीएल 4 सी 4440 सड़क पर खड़े हुए थे एक डंफर से जा टक्कराई। यह हादसा सामने से आ रहे यातायात की लाईटों से सड़क पर खड़े डंफर को ना दिखाने के कारण हुआ। उस डंफर के पिछे ना तो कोई लाईट जली हुई थी व ना ही कोई रात्री चिंह लगाया हुआ था। इस हादसे में हमारे तीन साथियों जिनके नाम कुलदीप, सतीश व प्रार्थी प्रवीण जो कि हादसे के वक्त गाडी चला रहा था, को काफी चोटें आई व जिसका उचार करवा कर घर भेज दिया गया है।.....इत्यादि रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 64/2015 अपराध अंतर्गत धारा 336, 337, 338 भा०दं०सं० 122/201 एमवी एक्ट में दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 336, 337, 338 भा०दं०सं० 122/201 एमवी एक्ट में आरोप पत्र पेश किया गया, जिस पर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 336, 337, 338 भा०दं०सं० 122/201 एमवी एक्ट के आरोपों का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. अभियुक्त के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 336, 337, 338 भा०दं०सं० 122/201 एमवी एक्ट का आरोप प्रथम दृष्टया बनना पाए जाने पर जुर्म सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

3. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिए पृष्ठ संख्या–02 पर भाग द्वितीय में वर्णित गवाहान के बयान लेखबद्ध करवाये गये व पृष्ठ संख्या–03 भाग द्वितीय में वर्णित दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये।

4. अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति के पश्चात् अभियुक्त को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत परीक्षित किया गया जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन की साक्ष्य को गलत होना

बताते हुए बाद अवसर साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना जाहिर कर स्वयं के निर्दोष होने एवं उसे झूठा फंसाया जाने का कथन किया।

5. बहस अंतिम उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा में निवेदन किया गया कि अभियोजन पक्ष ने मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित किया है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर कठोर से कठोर दण्ड से दण्डित किया जावे।

6. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने यह अभिकथन किये हैं कि अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय के समक्ष परीक्षित एवं प्रदर्शित करवाए गए मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध को संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहे हैं। अभियोजन की ओर से परीक्षित करवाए गए समस्त गवाहों की साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास है। अंत में निवेदन किया कि अभियुक्त को आरोपित अपराध में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जावे।

7. **इस प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु निम्न हैः–**

01.` क्या अभियुक्त ने दिनांक 21.03.2015 को समय करीब 11–12 बजे या इसके लगभग अपने वाहन डंफर एचआर 39 सी 5500 को सालासार दिल्ली रोड़ पर बिना कोई लाइट जलाए व रात्रि चिंह लगाए खड़ा किया। जिससे दिल्ली से सालासर जा रही परिवारी की गाडी नंबर डीएल 4 सी एसल 4440 उक्त गाडी नंबर से टक्करा गई जिससे आहतगण को साधारण एवं गंभीर उपहत्ति कारित की?

02. यदि हां तो अभियुक्त को क्या सजा दी जावे?

8. हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत महत्वपूर्ण गवाह स्वयं गवाह **गवाह पी.डब्ल्यू. 01 सुमेर सिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 24–03–25 को सूरजगढ़ में चालक के पद पर था। उस दिन थानाधिकारी से मिली तहरीर पर थाना परिसर में जब्तशुदा डंफर नंबर एचआर 39 सी 5500 का मैकेनिकल मुआयना किया था, डंफर में नुक्स थे। उक्त डंफर के नीचे दाहिनी तरफ फर्श के कोने पर खरोंचों के निशान तथा कोने से मुचा हुआ था। डंफर को चलाकर देखा तो कोई नुक्स नहीं पाया गया। मैकेनिकल मुआयना प्रदर्श पी 1 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। सी से डी उसकी रिपोर्ट है। दौराने जिरह गवाह ने कथन किया है कि उसने गाडी चलाकर नहीं देखा है। यह कहना गलत है कि गाडी डंफर चलने की हालत में न हो।

9. **गवाह पी.डब्ल्यू. 02 कुलदीप सिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ साक्ष्य दी है कि दिनांक 21–03–2015 को समय रात्रि 11.15 वह व उसका दोस्त प्रवीण और सतीश स्कोरपीओ गाडी न० डीएल 4 सी एएल 4440 से सालासर जा रहे थे। जब सूरजगढ के पास पहूचे तो एक डम्पर न० एच आर 39 सी 5500 जो कि रोड के बीचोबीच खडा था जिसमें कोई इंडीकेटर नही था डम्पर के आगे पीछे कोई पत्थर या लकडी, पेड की टहनी वगैरा कुछ नही लगाया हुआ था जिससे की पीछे आने वाली गाडी को यह पता लगे कि आगे डम्पर खडा हुआ है। उनकी गाडी को प्रवीण लोबिम

करके चला रहा था जिससे सामने से आने वाली गाडी या चालक को कोई तकलीफ ना हो। आगे से दो तीन गाडी आ रही थी। उन्होंने जैसे ही हाईबीम की आगे डमपर खडा मिला। उनकी गाडी के चालक ने ब्रेक लगाने की कोशिश की परन्तु डम्पर के करीब आने के वजह से ब्रेक लगाने के बाबजूद भी गाडी डम्पर से टकरा गई। जिससे उसके चहरे, हाथ और गर्दन पर चोटे आई थी और उनकी गाडी पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त हो गई । प्रवीण और सतीश के भी गंभीर चोटे आई। डम्पर के चालक का नाम अयूबदीन होना बाद में पता चलां। उसका मेडिकल और एक्स रे हुआ था। दौराने जिरह गवाह ने कथन किया है कि उसने डंफर चालक को आज तक नहीं देखा है और ना ही पहचान सकता है। एक्सीडेंट के समय वह बेहोश हो गया था। उसने गाडी के नंबर नहीं देखे। यह कहना गलत है कि स्कॉपियों चालक प्रवीण चालक की गलति से एक्सीडेंट हुआ है।

10. **गवाह पी.डब्ल्यू. 03 मजीन खान** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ साक्ष्य दी है कि सन् 2015 में सूरजगढ़.लौहारू रोड़ पर एक स्कोर्पियो व डम्फर का एक्सीडेंट हुआ था। जहां पुलिस ने उसके सामने घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया था। जो प्रदर्श पी.2 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके सामने उक्त स्कोर्पियो गाड़ी व डम्फर को जब्त कर फर्द जब्तियां बनायी थी। फर्द जब्ती स्कोर्पियो गाड़ी नंबर डीएल 04 सीएएल 4440 प्रदर्श पी.3 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। फर्द जब्ती डम्फर नंबर एचआर 39 सी 5500 प्रदर्श पी.4 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दौराने जिरह गवाह ने कथन किया है कि उसके पुलिस वालों ने खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाए थे और किसी कागज पर हस्ताक्षर नहीं करवाए थे। उसे नहीं पता एक्सीडेंट किसका हुआ था।

11. **गवाह पी.डब्ल्यू. 04 डॉ ओमप्रकाश** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ साक्ष्य दी है कि दिनांक 18–05–2015 को सीएचसी सूरजगढ़ में चिकित्सा अधिकारी के पद पर था। उस दिन एसएचओ सूरजगढ़ की तहरीर पर उसके द्वारा मजरूब प्रवीण कुमार के शरीर पर आई चोटों का मेडिकल मुआयना किया गया, जो इस प्रकार है माथे व नाक पर भरा हुआ घाव 3.5 सेमी गुणा 0.1 सेमी, दायीं आंख के नीचे भरा हुआ घाव 1 सेमी गुणा 0.1 सेमी, गर्दन में दर्द की शिकायत, चोट संख्या 1 व 3 की प्रकृति के लिए एक्सरे की राय दी गयी। चोट संख्या 2 सामान्य प्रकृति की पाई गयी। बाद एक्सरे चोट संख्या 1 गंभीर प्रकृति की व चोट संख्या 3 सामान्य प्रकृति की पाई गयीं। तीनों चोटें कुंद हथियार द्वारा कारित थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 5 है जिस पर ए से बी मजरूब का पहचान चिन्ह व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। एक्सरे कवर नोट प्रदर्श पी 6 है जिस पर ए से बी उसकी राय, सी से डी उसके हस्ताक्षर हे। एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी 7 व 8 है। उसी दिन उसके द्वारा मजरूब सतीश कुमार के शरीर पर आयी चोटों का मेडिकल मुआयना किया गया। जो इस प्रकार है, दायीं कलाई पर दर्द की शिकायत व सूजन, माथे पर बायीं तरफ भरा हुआ घाव 3.5 सेमी गुणा 0.1 सेमी, बायीं बोंहे पर भरा हुआ घाव 2.5 सेमी गुणा 0.1 सेमी, बायें कर्धे पर भरा हुआ धाव 4 गुणा 0.2 सेमी, बायीं अग्रभूजा पर दर्द की शिकायत,चोट नं 1 की प्रकृति के लिए एक्सरे की राय दी गयी।

बाकी सभी चोटें सामान्य प्रकृति की कुंद हथियार द्वारा कारित थी, सभी चोटें स्कीन कलर की थी। बाद एक्सरे चोट संख्या 1 गभीर प्रकृति की होना पाई गयी। चोट प्रतिवेदन प्रदश पी 9 है जिस पर ए से बी मजरूब का पहचान चिन्ह, सी से डी उसके हस्ताक्षर है। एक्सरे कवर नोट प्रदर्श पी 10 है जिस पर ए से बी उसकी राय, सी से डी उसके हस्ताक्षर है। एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी 11 है। दौराने जिरह गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि मजरूबान के शरीर पर आयी चोटें किसी उंचाई की जगह से कठोर धरातल पर गिरने से आने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

12. **गवाह पी.डब्ल्यू. 05 अरविंद ओला** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ साक्ष्य दी है कि दिनांक 21–03–2015 को उसके पास एक वाहन एचआर 39 सी 5500 था,जिसका वह पावर ऑफ एर्टोर्नी होल्डर था। उक्त वाहन का आरसी होल्डर अनूप सिंह था। उसको पुलिस ने एक नोटिस दिया था, नोटिस 133 एमवी एक्ट प्रदर्श पी 12 है जिस पर ए से बी उसका जवाब, सी से डी उसके साईन है। गाडी के असल कागजात व चालक अयुबदीन का डीएल उसने ही पुलिस को दिए थे। फर्द जब्ती कागजात प्रदर्श पी 13 है, जिस पर ए से बी उसके साईन है। दौराने जिरह गवाह ने कथन किया है कि अयुबदीन का डीएल उसने ही कागजात के साथ पुलिस को दिया था।

13. **गवाह पी.डब्ल्यू. 06 रजनीश** ने अपनी मुख्य परीक्षा में साक्ष्य दी है कि अरविंद ओला उसका परिवार में भाई है । जिसके पास में एक वाहन एचआर 39 सी 5500 था,जिसका वह स्वामी है। डंफर से दुर्घटना हुई। जिसके कारण पुलिस ने उसे जब्त किया। डंफर के असली कागजात अरविंद ओला ने थाने पर उसके समक्ष ले जाकर दिये थे। फर्द जब्ती प्रदर्श पी 13 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। दौराने जिरह गवाह ने कथन किया है कि उसने दुर्घटना होते हुए नहीं देखी है। प्रदर्श पी 13 में क्या लिखा हुआ था उसे नहीं पता।

14. **गवाह पी.डब्ल्यू. 07 सुरेश कुमार** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 19–05–2015 को सीएचसी थाना सूरजगढ़ में रेडियोग्राफर के पद पर पदस्थापित था। उस दिन डॉ ओमप्रकाश गजराज के निर्देशन में आहत प्रवीण कुमार के सिर तथा गर्दन का उसके द्वारा एक्सरे किया गया। एक्सरे कवर नोट प्रदर्श पी 6 है। एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी 7 व 8 है जिन पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। उसी दिन उसने आहत सतीश कुमार के दाहिनें हाथ की कलाई का एक्सरे किया थ। एक्सरे कवर नोट प्रदर्श पी 10 है , एक्सरे कवर प्लेट प्रदर्श पी 11 है जिन पर इ से एफ उसके हस्ताक्षर है। दौराने जिरह गवाह ने कथन किया है कि उसे चोटों की प्रकृति के बारे में नहीं बता सकता।

15. **गवाह पी.डब्ल्यू. 08 भोलाराम** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ साक्ष्य दी है कि पत्रावली वास्ते अनुसंधान हेतु एसएचओ रामजीलाल चौधरी द्वारा उसे सुपुर्द की गई थी। दौराने अनुसंधान घटनास्थल पर पहुंचकर नक्शा मौका घटनास्थल मय हालात मीका प्रदर्श पी 02 मौतबीरान के समक्ष तैयार किया जिस पर लगायत एक मौतबीरान के, जी से एच उसके हस्ताक्षर है। गवाहान प्रवीण कुमार, सतीश, कुलदीप के बयान उनके कथनानुसार उसके द्वारा लेखबद्ध किये गये।

वाहन स्कार्पिओ डीएल 4 सीएएल 4443 को तथा वाहन डम्फर एचआर 39 सी 5500 उसके द्वारा जब्त किया गया। फर्द जब्ती प्रदर्श पी 33 व प्रदर्श वी 24 है जिस पर ए लगायत डी मौतबीरान के, ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। वाहन एचआर 39 सी 5500 के असल कागजात उसके द्वारा जब्त किये गये। फर्द जब्शी प्रदर्श पी 13 है जिस पर ए लगायत एफ मौतबीरान के , जी से एच उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा वाहन एचआर 39 सी 5600 के वाहन स्वामी का नोटिस 133 एमवी एक्ट दिया गया जी प्रदर्श पी 12 है जिस पर ए से बी वाहन स्वामी का जवाब है सी से डी वाहन स्थान के हस्ताक्षर व ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। वाहन एचआर 39 सी 5500 एवं वाहन डीएल 4 सी एएल 4440 का मेकेनिक्के मुआयना प्रदर्श थी 01 व पी 13 हे जो उसके द्वारा शामिल पत्रावली किये गये। आहतगण प्रवीण कुमार, सतीश कुमार के आईआर प्रदर्श पी 05 व 09 है। एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी 26 व पी 10 है तथा आहत कुलदीप की आईआर प्रदर्श 14 एवं एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी 15 है जो उसके द्वारा शामिल पत्रावली की गई। उक्त अभियोग की एफआईआर एसएच रामजीलाल के द्वारा चाक की गई जो प्रदर्श पी 18 है जिस पर ए से बी एसएचओ रामजीलाल के हस्ताक्षर है। बाद अनुसंधान उसने आरोपी अयुबदीन के विरूद्ध धारा 336, 337, 338 तथा 122/201 एमवी एक्ट का अपराध प्रमाणित मानकर एसएचओ गोपीराम बाजिया को सुपुर्द कर दी। दौराने जिरह गवाह ने कथन किया है कि संपूर्ण कार्यवाही उसके द्वारा की गई थी। एफआईआर विलंब से दर्ज की गई थी। उसके द्वारा आईपीसी की धारा 279 में अपराध प्रमाणित नहीं माना गया है।

16. उक्त समस्त साक्षीगण की साक्ष्य का समग्र रूप से विवेचन विश्लेषण किया गया। उक्त विचारणीय बिंदु के संबंध में न्यायालय को यह देखना है कि क्या वक्त दुर्घटना अभियुक्त वाहन संख्या एचआर 39 सी 5500 का चालक था तथा उसके द्वारा घटना कारित की गई। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तोवजी साक्ष्यों का यदि विवेचन एवं विश्लेषण किया जाए तो इस संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाह पीडब्ल्यू 1 सुमेर सिंह है जो कि प्रकरण में जब्तशुदा डंफर नंबर एचआर 39 सी 5500 के मैकेनिकल मुआयने के गवाह है जिसने अपनी मुख्य परीक्ष में मैकेनिकल मुआयना प्रदर्श पी 1 पर अपने हस्ताक्षर होने स्वीकार किए व उक्त दस्तावेज की ताइद की। गवाह पीडब्ल्यू 2 कुलदीप सिंह है जो कि प्रकरण में घटना का चश्मदीद गवाह है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किए कि दिनांक 21–03–2015 को रात के करीब 11.15 बजे वो और उसका दोस्त प्रवीण व सतीश स्कॉपियों गाडी से सालासर जा रहे थे तब सूरजगढ़ के पास एक डंफर नंबर एचआर 39 सी 5500 रोड के बीच में खड़ा था। जिसका कोई इंडीकेटर चाल नहीं था ना ही कोई पत्थर या लक्कड रोड पर रखी हुई थी, तब गाडी प्रवीण चला रहा था जिसने लो बिम पर लाइट कर रखी थी, क्योंकि आगे से दो–तीन गाडियां आ रही थीं उसके बाद जैसे ही लाइट हरी डिम पर चली तो आगे डंफर खड़ा था जिससे स्कॅपियों गाडी टक्करा गई। गवाह की जिरह को देखा जाए तो गवाह ने यह स्पष्ट रूप से कथन किए कि उसने चालक को नहीं देखा ना ही उसे पहचान सकता है। घटना होते ही वह बेहोश हो गया था। गवाह संख्या पीडब्ल्यू 3 मजीद खान है। जो कि प्रकरण में

नक्शा मौका व फर्द जब्ती वाहन के गवाह है जिसने नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 फर्द जब्ती स्कॉपियों गाडी प्रदर्श पी 3, फर्द जब्ती डंफर प्रदर्श पी 4 पर अपने हस्ताक्षर होने स्वीकार किए। जिरह के दौरान गवाह ने यह स्पष्ट रूप से कथन किए कि उसके खाली कागज पर पुलिस वालों ने हस्ताक्षर करवाए थे। उसके अलावा और किसी कागज पर हस्ताक्षर नहीं करवाए। साथ ही यह भी बताया कि उसे नहीं पता था कि एक्सीडेंट किसका हुआ था। गवाह संख्या पीडब्ल्यू 4 डॉ ओमप्रकाश गजराज है जो कि प्रकरण में मजरूब प्रवीण कुमार व सतीश कुमार के मैकेनिकल मुआयने के गवाह हैं। जिन्होंने चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 5 प्रवीण कुमार चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 9 सतीष कुमार पर अपने हस्ताक्षर होने स्वीकार किए व उक्त दस्तावेज की ताइद की। साथ ही एक्सरे कवर नोट प्रदर्श पी 6 व पी 10 पर अपने हस्ताक्षर होने स्वीकार किए व उक्त दस्तावेजों पर अपनी राय अंकित होना स्वीकार किया। गवाह संख्या पीडब्ल्यू 5 अरविंद ओला है जो कि प्रकरण में धारा 133 एमवी एक्ट के नोटिस के गवाह है जिन्होंने धारा 133 एमवी एक्ट के नोटिस प्रदर्श पी 12 व फर्द जब्ती कागजात प्रदर्श पी 13 पर अपने हस्ताक्षर होने स्वीकार किए। साथ ही यह भी बताया कि दुर्घटना के समय वाहन का चालक कौन था वो नहीं बता सकता। उक्त गवाह को एपीओ के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया। गवाह संख्या पीडब्ल्यू 6 रजनीश है जो कि प्रकरण में जब्तशुदा असल कागजात प्रदर्श पी 13 का गवाह है जिसने उक्त दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर होने स्वीकार किए, लेकिन जिरह में यह कथन किए कि उसने कोई दुर्घटना होते हुए नहीं देखी। गवाह संख्या पीडब्ल्यू 7 सुरेश कुमार है जो कि प्रकरण में एक्सरे कवर नोट व एक्सरे कवर प्लेट के गवाह है। जिसने एक्सरे कवर नोटर प्रद्रश पी 6, 7,8 मजरूब प्रवीण कुमार के व प्रदर्श पी 10,11 एक्सरे कवर नोट सतीष कुमार पर अपने हस्ताक्षर होने स्वीकार किए व उक्त दस्तावेजों की ताइद की। गवाह संख्या पीडब्ल्यू 8 भोलाराम है जो कि प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी है। जिसने प्रकरण में नक्शा मौका प्रदर्श पी 2 फर्द जब्ती वाहन प्रदर्श पी 3 व पी 4 फर्द जब्ती असल कागजात प्रदर्श पी 13 एमवी एक्ट का नोटिस प्रदर्श पी 12 पर अपने हस्ताक्षर होने स्वीकार किए। इसके अतिरिक्त प्रवीण कुमार, सतीष कुमार के मैकेनिकल मुआयना एक्सरे रिपोर्ट, एक्सरे कवर नोट आदि दस्तावेजों को पत्रावली में शामिल कर आरोप पत्र पेश किए जाने के कथन किए। दौराने जिरह गवाह ने यह स्पष्ट रूप से कथन किए कि उसके द्वारा दौराने अनुसंधान अपराध अंतर्गत धारा 279 आईपीसी का अपराध प्रमाणित नहीं पाया गया है।

17. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन यह यह प्रकट होता है कि दुर्घटना के मामले में न्यायालय द्वारा सर्वप्रथम यह निर्धारित किया जाना होता है कि दुर्घटना के वक्त अभियुक्त के द्वारा ही वाहन चलाया जा रहा हो। प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्ष्ज्ञित कराए गए गवाहों व पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजी साक्ष्यों से यह तो प्रमाणित होता है कि दुर्घटना घटित हुई है जिसमें महेंद्रा स्कॉपियों गाडी डीएल 4 सी एसएल 4400 में बैठे लोगों के चोटें आई हैं, लेकिन यह प्रमाणित नहीं होता है कि उक्त घटना डंफर संख्या एचआर 39 सी 5500 के चालक के द्वारा हुई हो। जिन गवाहों को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया

है उसमें पीडब्ल्यू 2 कुलदीप सिंह जो कि प्रकरण में घटना का चश्मदीद गवाह है। स्वयं जिरह के दौराने यह कथन किए कि उसने डंफर के चालक को नहीं देखा था। इसके अतिरिक्त प्रकरण में महत्वूर्ण गवाह पीडब्ल्यू 5 अरविंद ओला जो कि धारा 133 एमवी एक्ट के नोटिस का गवाह है जिसने मुख्य परीक्षा में यह कथन किए कि वह वाहन संख्या एचआर 39 सी 5500 का पॉवर ऑफ अर्टोनी होल्डर है, लेकिन साथ ही उसने यह स्पष्ट रूप से बताया कि दुर्घटना के वक्त वाहन कौन चला रहा था उसे पता नहीं है। उक्त गवाह न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही घोषित हुआ। गवाह संख्या पीडब्ल्यू 3 मजीद खान जो कि नक्शा मौका व फर्द जब्ती स्कॉपियों गाडी का गवाह है। उसने भी जिरह में यह स्पष्ट रूप से कथन किए कि पुलिस ने उसके खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाए थे। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि एक्सीडेंट किसका हुआ था। उक्त गवाहों के अतिरिक्त प्रकरण में परिवादी प्रवीण कुमार को न्यायालय द्वारा बार–बार तलब किया गया। जिसके पश्चात भी परिवादी न्यायालय में उपस्थित नहीं आया। जिस कारण से परिवादी की तलबी बंद की गई। प्रकरण में केवल मात्र अनुसंधान अधिकारी के बयानों के आधार पर अभियुक्त अयुबदीन को दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अभियोजन इस प्राथमिक बिंदु को साबित करने में असफल रहा है कि वरवक्त दुर्घटना अभियुक्त अयुबदीन द्वारा दुर्घटना कारित करने वाला वाहन चलाया जा रहा हो। ऐसी स्थिति में उक्त विवेचनानुसार अभियुक्त अयुबदीन को अपराध अंतर्गत धारा 336, 337, 338 भादस व 122/201 एमवी एक्ट में दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

– आदेश –

18. परिणामतः **अभियुक्त अयुबदीन पुत्र शमसुदीन उम्र 22 साल निवासी कुलोठ खुर्द थाना सूरजगढ़ तहसील जिला झुंझुनू राज.** को अपराध अन्तर्गत धारा 336, 337, 338 भादस 122/201 एमवी एक्ट में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता है । अभियुक्त द्वारा नियमित उपस्थिति हेतु प्रस्तुत जमानत मुचलकें निरस्त किये जाते है। अभियुक्तगण धारा 437 ए द. प्र. सं. के तहत अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति हेतु 10,000/–रूपये का मुलचका व इसी राशि की जमानत पेश करे।

(आशीष जयपाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूरजगढ़

19. निर्णय व आदेश आज दिनांक 19–08–2026 को लिखवाया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

(आशीष जयपाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूरजगढ़